कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस नोट

दिनांक- 20.04.2026

पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में CEIR पोर्टल के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर स्वाट/सर्विलांस की टीम द्वारा विभिन्न स्थानों से कुल-121 गुमशुदा व खोए मल्टीमीडिया मोबाइल सेट किये गये बरामद

पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा शिविर पुलिस लाईन चन्दौली के नवीन सभागार में 121 गिरे/खोये मल्टीमीडिया मोबाइलों को उनके स्वामियों को किया गया वितरित
बरामद मोबाइलों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 36,30,000 रूपये

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चंदौली, श्री आकाश पटेल द्वारा जनसुनवाई के माध्यम से प्राप्त खोये/गिरे मोबाइलों से सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों का संज्ञान लेते हुए CEIR पोर्टल के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर स्वाट/सर्विलांस की टीम को गुमशुदा मोबाइलों की बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया।

मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु गठित पुलिस टीमों द्वारा तकनीकी माध्यमों एवं सतत प्रयास के फलस्वरूप विभिन्न स्थानों से खोए/चोरी हुए कुल-121 मोबाइल फोन को सफलतापूर्वक ट्रेस कर बरामद किया गया।
आज दिनांक-20.04.2026 को पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक सदर की उपस्थिति में शिविर पुलिस लाईन, चन्दौली के नवीन सभागार कक्ष में बरामदशुदा मोबाइलों को उनके वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द किया गया। मोबाइल स्वामी अपनें मोबाइल को पाकर प्रसन्न हुए तथा उनके द्वारा पुलिस टीम की प्रशंसा की गयी।

कुल बरामदगी –
121 मल्टीमीडिया मोबाइल सेट कीमत लगभग-36,30,000 रूपये।

थानों का विवरण-

सैयदराजा-03
बबुरी-07
मुग़लसराय-09
धीना-03
चंदौली-21
चकिया-04
चकर्घट्टा-02
नौगढ़-06
सकलडीहा-47
इलिया-02
कंदवा-03
धानापुर-06
सर्विलांस सेल-08
कुल-121 मोबाइल

◆ **थाना बबुरी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 पिकअप वाहन में भरकर परिवहन किया जा रहा 103.400 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ 02 तस्कर गिरफ्तार।**

◆ **थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अर्टिगा वाहन से 08 कि0ग्रा0 500 ग्राम अवैध गाँजा बरामद कर 01 महिला समेत कुल 03 शातिर तस्कर को किया गया गिरफ्तार।**

◆ **बरामद अवैध गांजा की अनुमानित कीमत कुल 30 लाख रुपए।**

कार्यवाही-

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली, श्री आकाश पटेल द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर, अनन्त चन्द्रशेखर एवं क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर,अरुण कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र थाना बबुरी व प्रभारी निरीक्षक स्वाट/सर्विलांस के कुशल नेतृत्व में दिनांक 20.04.2026 को थाना बबुरी व स्वाट/सर्विलांस पुलिस टीम द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक, मैनुअल एवं सर्विलांस सेल से संकलित साक्ष्यों के आधार पर चेकिंग के दौरान अशोक इंटर कॉलेज के पास निरीक्षण उपरांत पुलिस टीम अशोक नहर पुलिया के पास संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही थी तभी चकिया की ओर से एक पुरानी सफेद रंग की महिंद्रा वाहन पिकअप संख्या CG10C3922 को रोका गया। उक्त पिकअप वाहन पर सवार अभियुक्तों की पहचान 1.शत्रुघन चौहान पुत्र भगत चौहान, निवासी ग्राम सरिया थाना सरिया, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़), उम्र लगभग 37 वर्ष 2. शिवप्रधान पुत्र सोनाधर प्रधान, निवासी ग्राम सरिया थाना सरिया, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़), उम्र लगभग 40 वर्ष के रुप में हुई।

उक्त पिकअप वाहन को चेक किया गया तो उसमें रखे कार्टून के नीचे 04 प्लास्टिक की बोरियों में पैक किया हुआ अवैध गांजा बरामद हुआ। प्रत्येक बोरी में 25-25 पैकेट पाए गए, प्रत्येक पैकेट का वजन लगभग 1.030 किग्रा था। इस प्रकार चारों बोरियों से कुल 100 पैकेटों में 103.400 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 44/2026 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे छत्तीसगढ़ राज्य से सस्ते दामों पर गांजा लाकर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं वाराणसी जनपद में ऊंचे दामों पर बेचते थे। इस अवैध कारोबार के माध्यम से वे आर्थिक लाभ अर्जित करते थे। पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 44/26 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट थाना बबुरी जनपद चन्दौली।

बरामदगी विवरण-

103.400 किलोग्राम अवैध गांजा

01 पिकअप वाहन सं0 CG10C3922

🔷 **थाना कंदवा पुलिस टीम द्वारा ग्राम तेलहरा मारपीट व फायरिंग प्रकरण में संलिप्त 14 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

🔷 **घटना में प्रयुक्त 01 लाइसेंसी असलहा बरामद।**

घटना-

दिनांक 19.04.2026 को थाना कंदवा अंतर्गत ग्राम तेलहरा में एक ही समुदाय के दो पक्षों में पूर्व की रंजिश व बच्चों के झगड़े को लेकर विवाद हो गया था जिसमें एक पक्ष के सुभाष पुत्र स्व0 सुदामा द्वारा अपनी लाइसेंसी बंदूक से एक फायर किया गया था जिससे छर्रा लगने से कुछ लोग घायल हुए हैं। घायलों को तत्काल थाना स्थानीय द्वारा उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया। उक्त घटना के संबंध में वादी अभिमन्यु पुत्र देवराज राम निवासी ग्राम तेलहरा थाना कंदवा से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा मु0अ0स0-29/2026 धारा-109(1),118,115(2),352,351(2),191(2),191(3),190 बीएनएस व धारा-25/27/30 आर्म्स एक्ट में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर दबिश दी गयी।

कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक महोदय चन्दौली श्री आकाश पटेल द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर रोकथाम एवं घटना में सम्मिलित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिए गए आदेश/निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर व क्षेत्राधिकारी सदर, देवेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष कंदवा, राजीव मल्ल के कुशल नेतृत्व में थाना कन्दवा पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम तेलहरा में घटित मारपीट की घटना में संलिप्त 01 अभियुक्त सुभाष पुत्र स्व सुदामा निवासी ग्राम तेलहरा थाना कंदवा जनपद चंदौली को दिनांक-19.04.2026 को कंदवा चौराहा के पास से व अन्य 13 अभियुक्तों को दिनांक-20.04.2026 को तेलहरा राईस मिल के पास खेत से गिरफ्तार किया गया व घटना में प्रयुक्त 01 लाइसेंसी असलहा व 01 खाली कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

- पूर्व में दोनो पक्षों के मध्य हुए विवाद के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 75/2025 धारा 119(2) 115(2) 351(1) 352 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.सुभाष पुत्र सुदमा राम निवासी ग्राम तेलहरा थाना कन्दवा जनपद चन्दौली उम्र करीब 45 वर्ष

2.अशोक पुत्र रामसूरत राम उम्र 35 वर्ष

3.शैलेश पुत्र स्व0 सुदामा उम्र करीब 32 वर्ष
4.दिनेश उर्फ टड्डू पुत्र रामसूरत राम उम्र करीब 30 वर्ष
5.सन्तलाल पुत्र रामसूरत राम उम्र करीब 28 वर्ष
6.विमलेश पुत्र स्व0 रामसखी राम उम्र करीब 28 वर्ष
7.रोशन पुत्र नरेन्द्र कुमार उम्र करीब 27 वर्ष
8.नरेन्द्र कुमार पुत्र सुदामा उम्र करीब 48 वर्ष
9.रजनीश कुमार पुत्र वीरेन्द्र कुमार भारती उम्र करीब 20 वर्ष
10.राहुल पुत्र नरेन्द्र कुमार उम्र करीब 23 वर्ष
11.वीरेन्द्र पुत्र देवनाथ राम उम्र करीब 50 वर्ष
12.मन्टू राम उर्फ मनीष पुत्र स्व0 रामसखी राम उम्र करीब 30 वर्ष
13.सुरेन्द्र उर्फ अन्नू पुत्र रणविजय उम्र करीब 20 वर्ष
14.रामसूरत पुत्र स्व0 शोभनाथ उम्र करीब 70 वर्ष समस्त निवासीगण उपरोक्त ग्राम तेलहरा थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

आपराधिक इतिहास का विवरण-

मु0अ0स0-29/2026 धारा-109(1),118,115(2),352,351(2),191(2),191(3),190 बीएनएस व धारा-25/27/30 आर्म्स एक्ट थाना कंदवा जनपद चंदौली

बरामदगी का विवरण-

01 एक लाइसेंसी नम्बर 8894 एसबीबीएल गन 12 बोर
02 एक खोखा कारतूस 12 बोर
लाठी व डंडा